ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/368641335

□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ 2020 □□□ □□□□□ □□□□□□

Conference Paper · September 2022

CITATIONS
0

1 author:

Debaki Sirola
Uttarakhand Open University
23 PUBLICATIONS **0** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Debaki Sirola on 19 February 2023.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

UGC Approved Journal No. 49321 Impact Factor : 6.125 ISSN : 0976-6650

Shodh Drishti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 13, No. 9 Year - 13 September, 2022

PEER REVIEWED JOURNAL

Editor in Chief
Prof. Abhijeet Singh

Editor
Prof. Vashistha Anoop
Department of Hindi
Banaras Hindu University
Varanasi

Dr. K.V. Ramana Murthy
Principal
Vijayanagar College of Commerce
Hyderabad

Dr. Anil Kumar
Assistant Professor, Department of History
Rajdhani College, University of Delhi

Published by
SRIJAN SAMITI PUBLICATION
VARANASI
E-mail : shodhdrishtivns@gmail.com, Website : shodhdrishti.com, Mob. 9415388337

MANAGING DIRECTOR

Mushtaque Ahmad

PEER REVIEWING BOARD

Dr. Hossein Sheikhzadeh - Associate Professor and Faculty Member, Deptt. of Humanities, Saravan Branch, Islamic Azad University, Saravan, Sistan & Balochistan, Iran

Dr. Sumitra Kukreti - Head,Dept. of Applied English, M.J.P. Ruhelkhand University, Bareilly

Dr. Sangeeta Pandit - Professor, Department of Vocal Music, B.H.U., Varanasi

Dr. Akhilesh Kumar - Professor, Department of French Studies, B.H.U., Varanasi

Dr. Abhay Kumar Mishra - Associate Professor, Dept. of German Studies, B.H.U., Varanasi

Dr. Anuradha Singh - Asstt. Professor, Dept. of History, B.H.U., Varanasi

Dr. Jasminder Kaur - Asstt. Professor, Faculty of Visual Arts, B.H.U., Varanasi

Dr. Ram Narayan Meena - Asstt. Professor, Dept. of Agronomy, I.A.S., B.H.U., Varanasi

Dr. Jai Singh - Asst. Professor, Dept. of Education, Vasanta College for Women (BHU), Varanasi

Dr. Pragya Parmita Singh - Senior Lecturer, U.P. College, Varanasi

Dr. Dinesh Kumar Gupta - Asst. Professor, Dept. of Economics, Govt. Degree College Banbasa, Champawat, Uttarakhand

Dr. Amajeet Ram - Asstt. Professor, Dept. of Hindi, I.S.D.C., University of Allahabad

Dr. Sunil Kumar - Assistant Professor, School of Social Sciences, UPRTOU, Allahabad

ADVISORY BOARD

Prof. R.K. Shah - Central Dept. of Economics, Tribhuvan University, Kirtipur, Kathmandu, Nepal

Dr. M.M. Q. Alajlouni - Assct. Prof., (COB), Northern Border Administration, Kingdom & Saudi Arabia

Dr. Sara Guberti - Eminent Artist, Via Vallona, Raveena, Italy

Dr. Om Prakash Singh - C.I.L./S.L.L. & C.S., J.N.U., New Delhi

Dr. Ranjan Kumar Tripathi - Assct. Professor, Sanskrit Department, Delhi University, Delhi

Ms. Tabassum - Amar Ujala 'Dainik', Varanasi

© Publisher

ISSN : 0976-6650

Office :

H.No. 498, South Kakarmatta, Post-D.L.W., District-Varanasi-221004 (U.P.), India

Mob. 9415388337, Email : shodhdrishtivns@gmail.com, shodhdrishti@rediffmail.com

Website : shodhdrishti.com

Note :

- The views expressed in the journal **"Shodh Drishti"** are not necessarily the views of editorial board or publisher. Neither any member of the editorial board nor publisher can in anyway be held responsible for the views and authenticity of the articles, reports or research findings.
- All disputes are subject to Varanasi jurisdiction only.

EDITORIAL

It gives very soothing feeling that ***Shodh Drishti*** *has entered 13th years of its academic journey from the time of its inception. It has faced lots of challenges during this journey.*

The aim of this journal is to provide a platform for researchers, practitioners, academicians and professionals from different domains of Society & Education to share innovative research achievements and practical experiences to stimulate scholarly debate in the development of Education.

'Building Long Lasting Relationships' is the ultimate purpose of ***Shodh Drishti*** *Journal. We are not for profit research organization. As beginner, we will make every effort to be the best in field of Empirical & Scientific Research. It will be our consistent effort to increase impact and the overall quality of our journal. In times to come, we want to attract more and higher- quality submissions. In the spirit of continuous improvement, constructive inputs and critical reviews are welcome.*

We are also looking for associations with different institutions, colleges and universities to assist them in getting papers published presented during conferences and seminars, consultancies and project work. We are intended to provide maximum exposure to our authors and their articles both at corporate and academic levels, nationally and internationally. I am sure joint efforts of all of us will make our task easier to achieve the heights of new successes in the field of research.

The editorial board of the journal has invested their utmost efforts to make the journal as smart and scientific as possible. No stone remains unturned for the perfection of the every issue of the journal. In spite of the sincerest efforts, some errors or mistakes may be noticed. Any constructive suggestion regarding the development of the journal in future is always welcomed.

Hope to give new and latest development in the next issue.

With best wishes.

Yours truly

1st September, 2022

Dr. K.V. Ramana Murthy

अनुक्रमणिका

❧	मानवाधिकारों के विकास से समतामूलक समाज की स्थापना : एक समाजशास्त्रीय विवेचन **डॉ0 दिनेश कुमार यादव**	1-2
❧	21वीं शदी में गांधी की प्रासंगिकता : वर्तमान भारत में गांधी के विचार अतिवादियों के लिए एक सबक **डॉ0 संजय कुमार टम्टा**	3-6
❧	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं महिला शिक्षा **डॉ0 देबकी सिरोला**	7-9
❧	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर : परिस्थिति और परिणाम **जितेन्द्र कुमार**	10-14
❧	स्त्री विमर्श का आशय **डॉ0 रजनी राय**	15-18
❧	राजा मर्दन सिंह का 1857 की क्रान्ति में योगदान **डॉ0 अनुराग पालीवाल एवं रवि कुमार सोनी**	19-23
❧	कांग्रेस कौमी सेवा दल और बलिया में अगस्त क्रांति **उम्मे फिरदौस**	24-26
❧	संसदीय शासन प्रणाली की प्रासंगिकता **डॉ0 सुधाकर कुमार मिश्र**	27-29
❧	पुराणों में वर्णित तत्वों का निरूपण **डॉ0 ताराचन्द शर्मा**	30-34
❧	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की प्रभावशीलता **अर्चना मेंदीरत्ता एवं सीमा गुप्ता**	35-38
❧	सहायता प्राप्त एवम गैर सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों की व्यवसायिक संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन **डॉ0 रवींद्र नाथ सिंह**	39-40
❧	महुआ चरित : देहाशक्ति की कथा **पूजा मिश्रा**	41-42

UGC Approved Journal No. 49321 Impact Factor : 6.125
Shodh Drishti (An International Peer Reviewed Refereed Research Journal), Vol. 13, No. 9, September, 2022 ISSN : 0976-6650

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं महिला शिक्षा

डॉ0 देबकी सिरोला
असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र, विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी

सारांश

शिक्षा महिलाओं के सभी क्षेत्रों में प्रगति का एकमात्र आधार व साधन है। बिना शिक्षा के महिलाओं की प्रगति संभव नही है। महिलाएँ किसी भी समाज का महत्वपूर्ण भाग होती हैं। कोई भी समाज महिलाओं की प्रगति के बिना अपना विकास नहीं कर सकता है और महिलाओं की प्रगति शिक्षा के बिना सम्भव नहीं है। अतः शिक्षा की अनिवार्यता इसलिए भी है कि महिलाओं में जागरूकता व आर्थिक स्वावलम्बन का भाव जाग सके। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के बाद के 75 वर्षों में देश ने काफी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रगति की है। इस विकास में महिलाओं का योगदान किसी भी मायने में पुरूषों से कम नहीं रहा है। इसलिए आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं लेकिन समाज में आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। सबको बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार देने का दावा करने वाले इस देश में लड़कियों को जन्म लेने से रोका जाना और उनके साथ ताउम्र भेदभाव एक बड़ी त्रासदी है। इस त्रासदी को 34 वर्ष बाद आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने से महिला शिक्षा विकास और जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद जागी है, क्योंकि एनईपी 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए तथा विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ भारत को स्थापित करने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति में महिला शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें 2030 तक प्री–प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100 फीसद और उच्च शिक्षा में 50 फीसदी प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई है जिसमें महिला शिक्षा भी शामिल है। जहां एक तरफ बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा तो वही उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नही होगी। एक साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और दो साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी जो महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला है।

विषय संकेत : NEP 2020 एवं महिला शिक्षा।

प्रस्तावना

शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसकी सहायता से महिलाओं में शक्ति, क्षमता व आत्मविश्वास को जाग्रत किया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही महिलाओं में उनके अधिकारों की जागरूकता व अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति पैदा होती है। मानव संसाधन विकास हेतु शैक्षिक विकास के प्रयासों में स्वतंत्रता पूर्व जहाँ महिला शिक्षा को मात्र साक्षरता कौशल विकास के रूप में देखा गया वहीं स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) की स्थापना के साथ उच्च शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया गया कि स्त्री शिक्षा के बिना लोग शिक्षित नहीं हो सकते। यदि शिक्षा को पुरूषों अथवा स्त्रियों के लिए सीमित करना है तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाय क्योंकि उनके द्वारा भावी संतान को शिक्षा दी जायेगी। इसी क्रम में वर्ष 1964–66 में गठित कोठारी आयोग ने इस तथ्य को आवश्यक समझा कि स्त्री शिक्षा को बड़ा कार्यक्रम माना जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कहा गया है कि स्त्री–पुरूषों की शिक्षा में भेद नहीं किया जायेगा व लिंग मूलक अंतर को समाप्त किया जायेगा। महिलाओं की शिक्षा के विकास हेतु प्रारम्भ से ही प्रयत्न किये जायेंगे एवं महिलाओं को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। महिलाओं को व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधायें दी जायेंगी। इसी क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय को लैंगिक समानता, महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने, बालिका शिक्षा व जनसंख्या के पहलुओं के प्रति संवेदनशील होने के प्रति जागरूक होने आदि पहलुओं को शिक्षा पाठ्यक्रमों एवं योजनाओं में सम्मिलित किए जाने का प्रावधान सुनिश्चित किया, साथ ही सामाजिक तथा शैक्षिक विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में अध्ययन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के प्रावधान भी सुनिश्चित किये गये हैं। भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों यथा– अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 39(क), अनुच्छेद 39 (घ), अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 51 (क), अनुच्छेद 243 आदि के द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक विकास की आधारशिला रखी गयी है। इसी

कम में महिलाओं को कमतर आँकने की हमारी निम्न सोच की वजह से ही सरकार को समय–समय पर महिलाओं के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण करना पड़ा जिनमें स्वयंसिद्धा (2001), स्वधारा (2001–02), स्वर्णिम योजना (2002), महिला समाख्या योजना (1989), आशा योजना (2005), बालिका समृद्धि योजना (1997), स्वशक्ति (1998), राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (2001), जननी सुरक्षा योजना (2005), कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना (2004), वन्देमातरम् योजना (2004) आदि प्रमुख है। इस प्रकार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में समय–समय पर काफी उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। बावजूद इसके अनेक ऐसे वैयक्तिक व पारिवारिक कारण हैं जो महिलाओं की शिक्षा में बाधक सिद्ध होते है। महिलाओं की शिक्षा के रास्ते में आने वाली बाधाओं और समस्याओं पर नई शिक्षा नीति 2020 में विचार किया गया है और उनको दूर करने के लिए अनेक उपाय किए गए है।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

सामान्य शिक्षा सिर्फ पुरूषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य शिक्षा ग्रहण करके ही व्यक्ति समाज का जिम्मेदार सदस्य बनता है (गुड, 1973)। वर्तमान में भारतीय महिलाओं में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है और इन सब क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है (सैन्था, 1986)। सामान्यतः जो लड़कियाँ निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों से सम्बन्ध रखती हैं उनमें शिक्षा का स्तर भीसामान्यतः निम्न है और जो लड़कियाँ उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर से सम्बन्धित परिवारों से आती हैं उनमें नामांकन का प्रतिशत व शिक्षा का स्तर भी उच्च पाया जाता है (बोकिल, 1987)।महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर उनके निम्न सामाजिक–राजनैतिक सशक्तिकरण व ज्ञान के निम्न स्तर के लिए जिम्मेदार होता है (जैन, 2003)। प्राइमरी स्तर पर ही लगभग 42 प्रतिशत बालिकायें स्कूल छोड़ देती हैं। भारत में स्कूल जाने वाली आयु की 3 करोड़ बालिकायें विद्यालय नहीं जा रही हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्यों में जहाँ एक ओर लड़कियों की नामांकन दर कम है वहीं दूसरी ओर उनकी स्कूल छोड़ने की दर भी अधिक है। बावजूद इसके उत्साहजनक तथ्य यह है कि आज उच्च शिक्षा के लगभग सभी क्षेत्रों में लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आज भारत में महिलायें लगभग सभी क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला और संस्कृति, नौकरी, विज्ञान–प्रौद्योगिकी आदि में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रावधानों का विश्लेष्णात्मक अध्ययन करना है।

NEP 2020 एवं महिला शिक्षा

वर्तमान में महिला शिक्षा का उन्नयन व गुणात्मक आर्थिक विकास में धनात्मक सहसम्बन्ध है। अतः जैसे–जैसे समाज में महिलाओं का शैक्षिक स्तर ऊँचा उठता है वैसे–वैसे उन महिलाओं का आर्थिक स्तर भी ऊँचा उठता है। महिलाओं की आर्थिक अधिकारिता के लिए महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित कर उन्हें आधुनिक व्यवसायों की अनिवार्य कौशलतायें प्रदान करनी चाहिए जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। वर्तमान परिदृश्य में जहाँ शिक्षा ने महिलाओं को उनके अस्तित्व का बोध कराया है वहीं दूसरी ओर उनके कार्यों एवं भूमिकाओं में भी परिवर्तन किया है जिससे उनमें सामाजिक गतिशीलता दृष्टिगत हो रही है।

शिक्षा के प्रचार–प्रसार के बिना नारी को सशक्त करने के सभी उपक्रम निरर्थक सिद्ध होंगे। समुचित शिक्षा व्यवस्था के द्वारा जब जनजागरूकता होगी तभी आर्थिक स्वावलम्बन के द्वारा स्त्रियों का जीवन स्तर उठेगा। राष्ट्रीय शिक्षा के नीतिगत प्रावधान महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सकारात्मक संकेत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के सभी स्तरों प्री–प्राइमरी स्कूल से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों की बालिकाओं की भी एक समान शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों की व्याख्या करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्हें अनेक श्रेणी में बाँटा गया है जिसमें वंचित समूहों की बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। सर्वप्रथम बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेंडर समावेशी (इन्क्लूशन) फंड की व्यवस्था की गई है। यह समावेशी कोष राज्यों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जिससे उनको ऐसी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों आदि को लागू करने में सहायता मिलेगी जिससे महिलाओं को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षापूर्ण और स्वस्थ वातावरण मिल सके। यह प्रावधान निम्नवत् है–

- सह–विद्यालय परिसर में महिलाओं के लिए अलग सौचालय स्थापित करना।
- महिलाओं के लिए स्वच्छता और सेनीटेशन से सम्बधित अन्य सुविधाएँ प्रदान करना।
- स्कूल आने–जाने के लिए साइकिल देना।
- शुल्क इत्यादि ना भर पाने की स्थिति में उनके अभिभावकों को सशर्त नगद हस्तान्तरण करना ताकि गरीबी के कारण उन्हें स्कूल छोड़ने पर मजबूर न होना पड़े।
- बलिकाओं के लिए निःशुल्क सुरक्षित छात्रावास और यातायात के साधन उपलब्ध कराना।
- पूर्व से चली आ रही बालिका शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का और अधिक विस्तार करना ताकि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों और दूर–दराज के इलाकों में बालिकाओं का नामांकन बढ़ सके और वह शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह पाये।
- उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित छात्राओं को और अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्तियां प्रदान करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एकेडमिक केडिट बैंक की व्यवस्था की गई है जो अलग–अलग मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त केडिट को एकत्रित करेगा और विद्यार्थी उस केडिट का उपयोग करके किसी भी उच्चतर शिक्षा संस्थान से डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। महिलाओं को केडिट बैंक का सर्वाधिक लाभ मिलेगा क्योंकि विवाह और पारिवारिक कारणों से उनकी गतिशीलता (मोबिलिटी) बहुत अधिक रहती है।
- उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में लिंग–संतुलन को बढ़ावा देने के लिए अनेक साधनों और माध्यमों से संकाय–सदस्यों, परामर्शदाताओं, विद्यार्थियों आदि सभी को जेंडर के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि परिसर में भेदभाव और उत्पीड़न के लिए बने हुए नियमों को सख्ती से लागू किया जा सके।

इस प्रकार महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाने हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बहुत विस्तृत आयाम हैं। उपरोक्त सभी व्यवस्थाएँ शिक्षा संस्थानों में छात्राओं और उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगी।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शिक्षा के सभी स्तरों में लिंग संतुलन, सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों की महिलाओं की गुणवत्तापरक शिक्षा, शिक्षण परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा आदि के प्रति यह नीति जागरूक और संवेदनशील है।

1. उच्चतर शिक्षा में आगमन और निकास (एंट्री और एग्जिट) के अनेक विकल्पों वाला प्रावधान भी महिलाओं के लिए उपयोगी है। जिससे उन्हें विभिन्न स्तरों पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री के अनेक विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे।
2. महिलाओं के अनेक व्यक्तिगत और पारिवारिक कारण जो उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को कम कर देते हैं उनको दूर करने की दिशा में यह अनुपम सार्थक प्रयास है जिससे महिलाएँ निश्चित ही लाभान्वित होंगी।
3. नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित अधिक छात्रवृत्तियां, महिला छात्रावासों और विद्यालयों का विस्तार, अलग से जेंडर समावेशी फंड, केडिट ट्रान्सफर, अधिक सुरक्षित स्कूल/विश्वविद्यालय परिसर आदि अनेक प्रयासों से बालिकाओं और महिलाओं को बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने में सफलता मिलेगी।
4. नई शिक्षा नीति 2020 से महिलाओं को मिलने वाले शैक्षिक अवसरों की समानता से निश्चय ही महिलाएँ सशक्त होंगी।

सन्दर्भ–सूची :

1. नई शिक्षा नीति (2020), मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार
2. महिला विकास एवं सशक्तिकरण, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.)
3. अग्रवाल जे.सी., "भारत में नारी शिक्षा", प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली
4. सारस्वत ऋतु 2007 "भारत में महिलाओं की परिस्थिति", कुरूक्षेत्र
5. सिंह, अशोक प्रताप (2015), "उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति का उनके वैयक्तिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में अध्ययन", कुमाऊँ विश्वविद्यालय, पी–एच0डी0 (शिक्षा)

View publication stats